न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 65/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

बिरमा देवी पत्नि रामकुमार पुत्री रेशी पत्नि रामनारायण जाति विश्नाई निवासी सगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ हाल गाव दुतारावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब

—वादीया

बनाम्

1. सरबती देवी पत्नि सोहन लाल पुत्री रेशी पत्नि रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी 10.टी.के तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगानगर
2. रोशनी देवी पत्नि ब्रजलाल पुत्री रेशी पत्नि रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी तह0 पदमपुर जिला श्री गंगानगर
3. विजय कुमार दत्क पुत्र रेशी पत्नि रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी पुरानी आबादी वार्ड न 20 श्री गंगानगर
4. सुभाषचन्द्र पुत्र तुलसी देवी पत्नि कृपाराम जाति बिश्नाई निवासी पुरानी आबादी वार्ड न 20 श्री गंगानगर
5. सुशील कुमार पुत्र तुलसी देवी पत्नि कृपाराम जाति बिश्नाई निवासी पुरानी आबादी वार्ड न 20 श्री गंगानगर
6. कृष्णा पुत्री तुलसी देवी पत्नि कृपाराम जाति बिश्नाई निवासी पुरानी आबादी वार्ड न 20 श्री गंगानगर
7. बलवीर पुत्र शान्ती देवी पत्नि साहबराम जाति बिश्नोई निवासी 7 एन.पी गाव जगतसिंह वाला तह0 रायसिंहनगर जिला श्री गगानगर
8. र्धमवीर पुत्र शान्ती देवी पत्नि साहबराम जाति बिश्नोई निवासी 7 एन.पी गाव जगतसिंह वाला तह0 रायसिंहनगर जिला श्री गगानगर
9. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
10. रोशनी देवी पत्नी बृजलाल जाति बिश्नोई नि.54 एल.एन.पी तह.पदमपुर जिला श्री गंगानगर (नाम कलमजन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री राजेश बुढानियॉ वकील वादीया
2— श्री भीम पारीक— वकील प्रति सं. 1
3— श्री सुरेन्द्र सूच— वकील प्रति सं. 3,4,6,7,8
4— तहसीलदार राजस्व संगरिया—प्रति.सं. 9

निर्णय   दिनांक :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.28 15:06:05 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादीया द्वारा एक [illegible] वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया [illegible]क तथ्य निम्नानुसार है कि वादीया व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार वही

है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादीया की माता स्व रेशी पत्नि रामनारायण के नाम चक न 1एम.जे.डी ज.स.2070–2073 के खाता सख्या 16/12 मे वादी के नाम 0.538 हे भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि की जमाबदी सगलन वाद पत्र है। कि वादीया व प्रतिवादी गण 1 ता 8 मृतक रेशी पत्नि रामनारायण के जायज वारीसान है । प्रतिवादी सख्या 1 व 2 वादीया की सगी बहने है। प्रतिवादी सख्या 4 ता 8 वादीया के सगे भानजे व भानजी है। प्रतिवादी सख्या 3 मृतक रेशी दवी का दतक पुत्र है। कि वादीया की माता रेशी पत्नि रामनारायण के नाम चक न 1एम.जे.डी ज.स.2070–2073 के खाता सख्या 16/12 मे 0.538 हे भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रेशी पत्नि रामनारायण की मृत्यू हो चूकि है। रेशी के कुल 5 पुत्री व 1 दतक पुत्र है। कुल 6 जायज वारीसान है। मृतक रेशी की पुत्री तुलसी देवी व शान्ती देवी की मृत्यू हो चूकि है। तुलसी देवी व शान्ती देवी के जायज वारीस प्रतिवादी स 4 ता 8 है। प्रतिवादी सख्या 3 तुलसी देवी का पुत्र है। जो मृतक रेशी के गोद चला गया था। जिसका गोद नामा दिनाक 20–11–1968 को पंजीयन हुआ है जो उप पजीयन कार्यलय संगरिया पजीबंद है। इसलिए मृतक रेशी के नाम दर्ज भूमि मे वादीया व प्रतिवादी 1 ता 3 का 4/6 हिस्सा ब.ही.ब व प्रतिवादी सख्या 4 ता 6 का 1/6 हिस्सा ब.हि.ब व प्रतिवादी स 7 व 8 का 1/6 ब.ही.ब हिस्सा विरासतन बनता है। इसी अनुसार मृतक रेशी के नाम दर्ज भूमि को वादीया व प्रतिवादीगण 1 ता 8 के नाम खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की वादीया अधिकारी व दावेदार है। कि वादीया ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादीगण को वादपत्र की चरण सं. 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल–मटोल करते रहे किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है। कि प्रतिवादी सं. 9 को लैण्ड होल्डर होने के पक्षकार बनाया गया है इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। की वादपत्र बाबत घोषणा व तकसीम खाता का है जो 4रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है व अन्दर मियाद है व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादीया निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। कि चक न 1एम.जे.डी ज.स.2070–2073 के खाता सख्या 16/12 मे 0.538 हे भूमि मे से वादीया व प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 को 4/6 हिस्सा ब.हि.ब व प्रतिवादी सख्या 4 ता 6 को 1/6 ब.ही.ब हिस्सा व प्रतिवादी स. 7 व 8 को 1/6 हिस्सा ब.ही.ब का खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक रेशी पत्नि रामनारायण का नाम क[illegible]या जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.28 15:06:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जिसका वादीया ने कोई विरोध नही किया। जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 3,4,6,7,8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर भी अपना जवाब दावा प्रस्तुत नही किया। प्रतिवादी संख्या 2, 5 के विरूद्व उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। प्रतिवादी संख्या 9 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादिया संख्या 1 बिरमा देवी का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीया एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादीया एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीया ने फार्म नं. 3 के साथ रेशी देवी, तुलसी देवी, शान्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति मय तुलसी, शान्ती के वारिसान तस्दीक प्रमाण पत्र पेश किया एवं विजय कुमार का खोलानामा की प्रति पेश की गई तथा चक 1 एमजेडी के खाता संख्या 16/12 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता कृष्णलाल वगैरा प्रदर्श–1 एवं खोलानामा प्रदर्श–2 करवाई गई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीया ने कथन किया कि चक 1 एमजेडी के खाता संख्या 16/12 खाता कृष्ण लाल वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीया के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीया ने रेशी का मृत्यु प्रमाण पत्र की चित्रप्रति पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 मृतक रेशी पत्नि रामनारायण के जायज वारीसान है। प्रतिवादी सख्या 1 व 2 वादीया की सगी बहने है। प्रतिवादी सख्या 4 ता 8 वादीया के सगे भानजे व भानजी है। प्रतिवादी सख्या 3 मृतक रेशी देवी का दतक पुत्र है के अनुसार वाद–पत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। चक 1 एमजेडी के खाता संख्या 16/12 खाता कृष्णालाल वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 प्रदर्श–1 करवाई गई जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी स्व. रेशी पत्नी रामनारायण के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.28 15:06:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया एवं प्रतिवादी संख्या 3,4,6,7,8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर भी अपना जवाब दावा प्रस्तुत नही किया तथा प्रतिवादी संख्या 2, 5 के विरूद्व उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। वादीया एवं प्रतिवादीगण का आराजी की घोषणा बाबत कोई विरोध सामाने नही आया है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीया साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीया मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीया स्वीकार कर आदेश दिये जाते है किः— मृतक रेशी पत्नी रामनारायण के नाम चक 1 एमजेडी के खाता संख्या 16/12 जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 मे से दर्ज भूमि का वादीया व प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 को 4/6 हिस्सा ब.हि.ब व प्रतिवादी सख्या 4 ता 6 को 1/6 ब.ही.ब हिस्सा व प्रतिवादी स. 7 व 8 को 1/6 हिस्सा ब.ही.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक रेशी का उक्त खाता से नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2024 .को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.28 15:06:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 65/2023

बिरमा देवी पत्नि रामकुमार पुत्री रेशी पत्नि रामनारायण जाति विश्नाई निवासी सगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ हाल गाव दुतारावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब

–वादीया

बनाम्

1. सरबती देवी पत्नि सोहन लाल पुत्री रेशी पत्नि रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी 10.टी.के तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगानगर
2. रोशनी देवी पत्नि ब्रजलाल पुत्री रेशी पत्नि रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी 54 एल.एन.पी तह0 पदमपुर जिला श्री गंगानगर
3. विजय कुमार दत्क पुत्र रेशी पत्नि रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी पुरानी आबादी वार्ड न 20 श्री गंगानगर
4. सुभाषचन्द्र पुत्र तुलसी देवी पत्नि कृपाराम जाति बिश्नाई निवासी पुरानी आबादी वार्ड न 20 श्री गंगानगर
5. सुशील कुमार पुत्र तुलसी देवी पत्नि कृपाराम जाति बिश्नाई निवासी पुरानी आबादी वार्ड न 20 श्री गंगानगर
6. कृष्णा पुत्री तुलसी देवी पत्नि कृपाराम जाति बिश्नाई निवासी पुरानी आबादी वार्ड न 20 श्री गंगानगर
7. बलवीर पुत्र शान्ती देवी पत्नि साहबराम जाति बिश्नोई निवासी 7 एन.पी गाव जगतसिंह वाला तह0 रायसिंहनगर जिला श्री गगानगर
8. र्धमवीर पुत्र शान्ती देवी पत्नि साहबराम जाति बिश्नोई निवासी 7 एन.पी गाव जगतसिंह वाला तह0 रायसिंहनगर जिला श्री गगानगर
9. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
10. रोशनी देवी पत्नी बृजलाल जाति बिश्नोई नि.54 एल.एन.पी तह.पदमपुर जिला श्री गंगानगर (नाम कलमजन)

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ राकेश कुमार मीना आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुढानियां वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री भीम पारीक, श्री सुरेन्द्र सिह सूच वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि :– मृतक रेशी पत्नी रामनारायण के नाम चक [illegible] के खाता संख्या 16/12 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 मे से दर्ज भूमि का वादीया [illegible] प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 को 4/6 हिस्सा ब.हि.ब व प्रतिवादी सख्या 4 ता 6 को 1/6 [illegible] हिस्सा व प्रतिवादी स. 7 व 8 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.28 15:06:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1/6 हिस्सा ब.ही.ब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक रेशी का उक्त खाता से नाम कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.03.2024 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.28 15:06:05 IST
Reason: SelfAttested